प्रेस नोट
दिनांक – 14.12.2025
जनपद – गोण्डा

पुलिस लाइन गोण्डा में न्यायिक विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य मैत्री क्रिकेट मैच का भव्य आयोजन, जज एकादश (J-11) ने दर्ज की जीत-

आज दिनांक 14.12.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा को क्रिकेट ग्राउण्ड में न्यायिक विभाग (J-11) एवं पुलिस विभाग (P-11) के मध्य एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति हाईकोर्ट श्री गौतम चौहान जी व अन्य न्यायाधीशगण के आगमन पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बुके भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति हाईकोर्ट श्री गौतम चौहान जी द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा की उपस्थिति में J-11 व P-11 के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह वर्धन किया गया। J-11 के कप्तान माननीय जिला जज श्री डी0एन0 सिंह द्वारा टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया गया। मैच में पुलिस एकादश (P-11) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 08 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए । इसके जवाब में न्यायिक एकादश (J-11) की टीम ने श्री दीपेन्द्र, (ग्राम न्यायालय मनकापुर) की शानदार 41 रनों की पारी की मदद से 12.2 ओवर में मात्र 04 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया और मुकाबला अपने नाम किया। पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें बेहतरीन बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी एवं उम्दा क्षेत्ररक्षण के चलते दर्शकों में उत्साह और रोमांच बना रहा। मैच के उपरान्त आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में दोनो टीमों के खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर न्यायिक एकादश (J-11) को विजेता ट्रॉफी व पुलिस एकादश (P-11) को उपविजेता ट्रॉफी प्रदान की गईं। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, हाईकोर्ट श्री गौतम चौहान जी को उनके उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। शानदार कैच के लिए मा० जिला जज श्री डी.एन. सिंह को कैच ऑफ द मैच घोषित किया गया, शानदार बल्लेबाजी के लिए ग्राम न्यायालय मनकापुर के श्री दीपेन्द्र को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण के लिए प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री सुशील कुमार को सर्वश्रेष्ठ फील्डर, प्रभावी गेंदबाजी के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, निष्पक्ष एवं सराहनीय अंपायरिंग के लिए मा0 जज एडीजे एससी/एसटी श्री सूर्य प्रकाश सिंह को सर्वश्रेष्ठ अंपायर तथा सम्मानित किया गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति हाईकोर्ट श्री गौतम चौहान जी एवं मा0 जिला जज श्री डी0एन0 सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा सहित पुलिस लाइन के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशिक्षणरत आरक्षियों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 14.12.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-299/25 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार कश्यप पुत्र स्व० रामशंकर निवासी ग्राम निवासी ग्राम केवलपुर बिरतिहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा को पिपरा चौबे नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.12.2025 को वादिनी श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी रामशंकर कश्यप नि0 ग्राम केवलपुर विरतिहा थाना कोतवाली देहात गोण्डा जनपद गोण्डा हालपता ग्राम पिपरा चौबे थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 12.12.2025 को शाम 06.00 बजे उनके पति रामशंकर कश्यप पुत्र घोलरे उमर करीब 45 वर्ष शराब पीकर घर आये और घरवालों को मारने पीटने लगे जिसके विरोध में उनके पुत्र सुनील ने बांस चला दिया जो रामशंकर के सिर पर लग गया और वह बेहोश हो गये । जिसके बाद सुनील द्वारा पिता रामशंकर को सीएचसी खरगूपुर ले गया जहाँ डॉक्टरों ने रामशंकर को मृत घोषित कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 14.12.25 को थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त - सुनील कुमार कश्यप पुत्र स्व० रामशंकर निवासी ग्राम निवासी ग्राम केवलपुर बिरतिहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा को पिपरा चौबे नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. सुनील कुमार कश्यप पुत्र स्व० रामशंकर नि0 ग्राम केवलपुर बिरतिहा थाना को०देहात जनपद गोण्डा, हालपता ग्राम पिपरा चौबे थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 299/25 धारा 105 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 शशांक मौर्य मय हमराह
02. का0 अंकित गुप्ता
03. का0 धर्मेन्द्र ठाकुर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः- 14.12.2025

जनपदीय पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा 07 थानों पर 61 अलग-अलग कंपनियों के खोये हुए मोबाइल फोन अनुमानित कीमत 9,01,000/-रु0 बरामद कर मोबाइलों धारकों को सुपुर्द किये गये -

विवरण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सभी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा विभिन्न कम्पनियों के कुल 61 मोबाइल फोन कीमत लगभग 9,01,000/-रु0 (नौ लाख एक हजार रुपये) को बरामद किया गया।

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में खोये हुए मोबाइलों की बरामदगी हेतु सर्विलांस टीम एवं सभी थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था, जिनके अनुपालन में सर्विलांस टीम द्वारा सभी थानों से समन्वय स्थआपित कर केन्द्र द्वारा संचालित सीईआईआर पोर्टल को प्रतिदिन मॉनीटरिंग कराते हुए जनपदीय पुलिस टीम द्वारा विभिन्न कम्पनियों के गुमशुदा कुल 61 मोबाइल फोन बरामद किये गये। जिन्हे आज दिनांक 14.12.25 को सभी थानो पर पुलिस मुख्यालय द्वारार निर्देशित कि रविवार के दिन मोबाइल वितरण की कार्यवाही कराने के क्रम में मोबाइल धारकों को मोबाइल सुपुर्द किये गये। मोबाइल धारकों द्वारा अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर गोण्डा पुलिस को धन्यवाद देते हुये प्रशंसा की गयी। इस संबंध में सर्विलांस सेल द्वारा बताया गया कि प्रत्योक व्यक्ति अपने मोबाइल में संचार सारथी एप को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लें ताकि भविष्य में मोबाइल खो जाने पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर मोबाइल की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मोबाइल खो जाने की दशा में अपने स्थानीय थाने पर मोबाईल की बिल, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रचलित सीईआईआर पोर्टल में शिकायत दर्ज कराएं भविष्य में किसी के द्वारा मोबाइल का प्रयोग होने पर धारक के रजिस्टर्ड नंबर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, मोबाइल प्राप्त होने पर जनपदीय मुख्यालय एवं थानो द्वारा इसी प्रकार से साप्ताहिक मोबाइल वितरण किया जायेगा।

मोबाईल बरामदगी का विवरणः-

61 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के कीमत लगभग रु0- 9,01,000/-

बरामदगीकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव तोमर प्रभारी सर्विलांस/स्वाट
2. मु0आ0 हृदय नारायण दीक्षित
3. मु0आ0 अमित पाठक
4. मु0आ0 रवि यादव, आ0 अमितेश सिंह, आ0 अंशुमान पाण्डेय
5. प्र0नि0 को0नगर, प्र0नि0 को0 देहात, प्र0नि0 कर्नलगंज, प्र0नि0 मनकापुर, प्र0नि0 तरबगंज, प्र0नि0 तरबगंज, प्र0नि0 खोड़ारे, थानाध्यक्ष छपिया व संबंधित थानों पर सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त कर्मी मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से पीले धातु के बर्तन तथा सफेद धातु के ड्रम मय ढक्कन बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 560/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2) बीएनएस से संबंधित शातिर चोर 01. अमरेश तिवारी पुत्र सूर्य प्रकाश तिवारी 02. अजय कुमार तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी को मोफिया मलारी को जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से पीले धातु के बर्तन तथा सफेद धातु के ड्रम मय ढक्कन बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.12.2025 को वीरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र आनन्द प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम रौतावाँ थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में तहरीर दी गई कि वह वर्तमान में झारखण्डी महादेव के पास गोण्डा-उतरौला मार्ग पर मकान बनाकर रहते हैं तथा गाँव में उनके घर पर कोई नहीं था। दिनाँक 13/12/2025 को वे जब अपने गाँव के मकान पर गये तो देखा कि खिड़की टूटी हुई है और किसी अज्ञात द्वारा रात में घर में घुस कर कमरे के अंदर रखा सामान पीतल की थाल 1 अदद, कलश 1 अदद, थाली 2 अदद, लोटा 2 अदद, स्टील ड्रम 2 अदद, कटोरा 2 अदद चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 14.12.2025 को कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान आरोपी अभियुक्तगण 01. अमरेश तिवारी पुत्र सूर्य प्रकाश तिवारी 02. अजय कुमार तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी को मोफिया मलारी को जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से पीले धातु के बर्तन तथा सफेद धातु के ड्रम मय ढक्कन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमरेश तिवारी पुत्र सूर्य प्रकाश तिवारी नि0 ग्राम रौतावां थाना कोतवाली देहात गोण्डा उम्र करीब 19 वर्ष।
02. अजय कुमार तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी नि0 ग्राम रौतावां थाना कोतवाली देहात गोण्डा उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 560/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. पीले धातु की थाल प्रिंटेड 01 अदद
02. पीले धातु की कलश प्रिंटेड 01 अदद
03. पीले धातु की थाली 02 अदद
04. पीले धातु की लोटा 02 अदद
05. पीले धातु की कटोरा 02 अदद
06. सफेद धातु की ड्रम मय ढक्कन 02 अदद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सौरभ कुमार
02. हे0का0 विनोद सिंह
03. हे0का0 सोहन प्रसाद
04. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार चौधरी
05. हे0का विपिन बिहारी पटेल
06. कां0 नरेन्द्र यादव
07. कां0 कलीम अली

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.12.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-221/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- सनी सिंह उर्फ रजनीश सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को ग्राम ठोरहंस महिपतसिंह पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.12.25 को प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सूचना मिली कि 1.सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी महेशपुर परसौरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा एक शातिर अपराधी है, जो संगठित गिरोह बनाकर चोरी आदि अपराध करता है। गिरोह के अन्य सदस्य मोहम्मद रईस, अजय सिंह, भानु प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी हैं। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्र0नि0 को0 नगर द्वारा की जा रही थी। जिसमें थाना को0 नगर से अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु हुकुम तहरीरी प्राप्त हुई थी । आज दिनांक 14.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरगूपुर मय टीम द्वारा गैंगस्टर अभियुक्तगण 1. सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी महेशपुर परसौरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा, 2. मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा तथा 3. भानू प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पुत्र हरिनरायन द्विवेदी निवासी चांदभानपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को जानकी नगर चौकी क्षेत्र में दिव्यांशु स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 महेशपुर परसौरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 32 वर्ष,
02. मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद उमर नि0 ग्राम परसिया बहोरीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा उम्र करीब 40 वर्ष
03. भानू प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन द्विवेदी पुत्र हरिनरायन द्विवेदी नि0 ग्राम चांदभानपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-298/25 धारा 3 (1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमारसिहं मय हमराह
02. वरि0उ0नि0 पंकज कुमार
03. हे0का0 राहुल मिश्रा
04. हे0का0 महताब खां
05. हे का0 पप्पू सिंह
06. का0 अमृष कुमार
07. का० विजय शंकर राय

08. का० ऋषिकेश यादव
09. हे0गा0 ओमप्रकाश सोनकर

मीडिया सेल, गोण्डा।